भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2818

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

2818. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कितनी सड़क विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या ऐसी परियोजनाओं के लिए आवश्यक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) और वन संबंधी स्वीकृतियाँ प्राप्त की गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के प्रारंभ होने से पूर्व स्थानीय समुदायों से परामर्श किया गया था और उक्त परामर्श किस प्रकार किया गया था;

(घ) इन परियोजनाओं के अंतर्गत, विशेषकर पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, निर्मित की जा रही सड़कों की लेन की संख्या कितनी है; और

(ङ) ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान उत्पन्न निर्माण मलबे और अपशिष्ट के उचित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक लगभग 1.91 लाख करोड़ रुपये की संचयी परियोजना लागत से 666 राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 326 परियोजनाएं परियोजना पूर्णता चरण में पहुंच चुकी हैं, 31 परियोजनाएं समाप्त/फोरक्लोज हो चुकी हैं, और शेष 309 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं।

परियोजना-विशिष्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) की तैयारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का एक अभिन्न अंग है। ईआईए अधिसूचना, 2006, समय-समय पर यथा संशोधित, और अन्य लागू पर्यावरण नियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की जाती है। गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन से जुड़े मामलों में, अपेक्षित अनुमोदन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत प्राप्त किया जाता है।

सार्वजनिक परामर्श, मंत्रालय के डीपीआर परामर्श ढांचे के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। डीपीआर तैयार करने के उचित चरणों में

स्थानीय समुदायों और संबंधित हितधारकों/प्राधिकरणों के साथ परामर्श किया जाता है, और डीपीआर को अंतिम रूप देते समय प्राप्त विचारों और सुझावों पर उचित रूप से विचार किया जाता है।

उपरोक्त के अनुसार आवश्यक मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है।

(घ) पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों सहित एनएच के लेन विन्यास का निर्णय यातायात की आवश्यकता, भूभाग की भूवैज्ञानिक स्थिति, सामरिक अपेक्षा, आरओडब्ल्यू (मार्गाधिकार) की उपलब्धता और वैधानिक मंजूरी के अधीन किया जाता है।

(ङ) निर्धारित विनिर्देशों को पूरा करने वाली उत्खनित सामग्री का यथासंभव पुन: उपयोग किया जाता है, जबकि अधिशेष सामग्री का सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमति के साथ पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से चिह्नित/निर्दिष्ट कूड़ा निपटान स्थलों पर निपटान किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में कूड़ा निपटान स्थलों की पहचान भी डीपीआर का हिस्सा है। ढलान विफलता और कटाव को रोकने के लिए टेरेस कटिंग, रिटेनिंग दीवारों और गैबियन/पत्थर की निचली दीवारों सहित उपयुक्त ढलान सुरक्षा उपायों का निर्माण किया जाता है। उत्खनित सामग्री के निपटान के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थलों को बहाल करने और स्थिर करने के लिए जैव-इंजीनियरिंग उपाय, वृक्षारोपण और भूनिर्माण कार्य (लैंडस्केपिंग) भी किए जाते हैं।
